न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 18/2024**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

प्रकाश टोप्पो वगै० –बनाम– लिबीन टोप्पो वगै०

6.11.2024

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०– **49/2024** एवं **डुमरी थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **15/2024 दिनांक– 08.05.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा– 107) धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक 1. प्रकाश टोप्पो 2. अनिल टोप्पो दोनों पे०– जोसेफ टोप्पो, सा०– हड़सरी पकरीटोली, थाना– डुमरी, जिला– गुमला एवं प्रतिवादी 1. लिबीन टोप्पो, पे०– स्व० इसीदोर टोप्पो 2. रंजीत कुजूर, पे०– स्व० तेलेस्फोर कुजूर दोनों ग्राम– हड़सरी पकरीटोली, थाना– डुमरी, जिला– गुमला द्वारा जमीन को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। **थाना प्रभारी, डुमरी** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.11.01 15:02:03 +05:30
Location: 10.93.204.131

Scanned with CamScanner